कार्यालय ग्राम पंचायत गनाहेड़ा पंचायत समिति अजमेर ग्रामीण जिला अजमेर

क्रमांकःग्रा.पं.गनाहेड़ा / एसबीएमजी / निविदा / 2026–27 / 11 दिनांकः– 18/5/26

ई– / निविदा सूचना संख्या 02 (वित्तीय वर्ष 2026–27)

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत **गनाहेड़ा** पंचायत समिति अजमेर ग्रामीण के अधीनस्थ ग्रामों में वित्तीय वर्ष 2026–27 मे घर एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से कचरा संग्रहण एवं पृथक्ककरण, गांवों की सड़क एवं नाली सफाई कार्य तथा सामुदायिक स्वच्छता परिसर की सफाई कार्य की सेवाओं हेतु इच्छुक जी.एस.टी. पंजीकृत निविदादाताओं / फर्मो से निविदाएँ आमन्त्रित की जाती है। निविदा फार्म / शर्ते ऑनलाईन / कार्यालय में उपलब्ध है।

क्र. सं.	बोली का विवरण	अनुमानित लागत राशि (रुपयें में)	बोली प्रतिभूति राशि (रूपये में)	बोली प्रपत्र शुल्क (रूपये में)	M.D RISL शुल्क (रूपये में	निविदा डाउनलोड अपलोड करने की तिथि व समय	ऑनलाईन तकनीकी निविदा खोलने की दिनांक व समय (पंचायत समिति कार्यालय अजमेर ग्रामीण)
1	2	3	4	5	6	7	9
1	ग्राम पंचायत के समस्त गावों में घर–घर (आवासीय एवं व्यवसायिक) से कचरा संग्रहण एवं पृथक्ककरण, सड़क एवं नाली सफाई, तथा सामुदायिक स्वच्छता परिसर की सफाई सहित कार्य।	1396300/-	27926/-	1500/-	500/-	**19-05-2026 (10.00 AM) To 28-05-2026 (05.00 PM)**	**29-05-2026 (10.00 AM)**

1- निविदा आमंत्रण की विस्तृत सूचना मय बोली दस्तावेज राजस्थान राज्य लोक उपापन पोर्टल **http://sppp.rajasthan.gov.in** एवं **http://www.eproc.rajasthan.gov.in**पर भी देखा व प्राप्त किया जा सकता है।

2- निविदा प्रोसेसिंग फीस (ई–ग्रास चालान से), निविदा शुल्क, एंव बोली प्रतिभूति राशि **तकनीकी निविदा प्रपत्र तालिका के क्रम संख्या 5, 6 व 7** के अनुसार निर्धारित दिनांक 28–05–2026 तक जमा कराना आवश्यक है। इसके अभाव में ऑनलाईन आवेदन (ई–निविदा) पर कोई विचार नहीं किया जायेगा उसे स्वतः निरस्त माना जायेगा।

3- निविदा प्रपत्र शुल्क व अमानत राशि को ग्राम पंचायत के बचत खाता संख्या जो बिन्दु संख्या 02 में अंकित है में ऑललाईन जमा करवानी होगी तथा एमडीआरएसएल शुल्क की राशि बजट मद 8658–00–102–16–01 के अन्तर्गत जमा कराकर जमा के प्रमाणक दस्तावेजों के साथ अपलोड़ करना होगा।

4- निविदा प्रपत्र शुल्क, प्रोसेसिंग शुल्क एवं प्रतिभूति राशि दस्तावेजो को ऑनलाईन (On line) जमा कराने वाले निविदादाताओं की ही तकनीकी बोली खोली जावेगी।

5- तकनीकी–वाणिज्यिक / क्वालिफाईड बिड दिनांक 29–05–2026 को प्रातः 10:00 बजे कार्यालय पंचायत समिति अजमेर ग्रामीण में उपस्थित बोलीदाता / संवेदक या उनके अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष उपापन समिति द्वारा ऑनलाईन खोली जायेगी व तकनीकी बोली में सफल बोलीदाता की ही वित्तीय बोली खोली जायेगी।

6- किसी निविदा को स्वीकार / अस्वीकार करने या किसी बोली को निरस्त करने का उपापन समिति का अधिकार सुरक्षित है।

7- सर्शत डाक व ई–मेल द्वारा प्रेषित निविदा पर विचार नही किया जायेंगा।

8- निविदाता 02 से अधिक ग्राम पंचायतो में निविदा अपलोड किये जाने पर निविदा ग्राम पंचायतो का आकंलन / मैपिंग के अनुसार की जावें एवं तकनिकी निविदा के साथ संलग्न करें। निविदादाता के पास उपयुक्त मानव श्रम / संसाधन की उपलब्धता हो। निदेशालय स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) पत्र कमांक एफ 12 () परावि / एस.बी.एम. / बीएसआर सेक्शन / 2024–25 दिनांक 10.03.2025 (Rajkaj Ref No. 14098884) के निर्देश प्रभावी रहेगें। उक्त के अभाव में निविदादाता की निविदा निरस्त की जायेगी।

9- यह निविदा (कार्य अवधि 31.03.2027) तक कार्य सम्पादन के लिए ळें

10- साफ–सफाई कार्य पर लगाये गये वाहनो का पूर्ण / वाहन चालक का नाम लाईसेन्स नं0 वाहन आरसी आदि निविदा के साथ अपलोड किया जाना अनिवार्य है।

उपापन संस्था
ग्राम पंचायत

(हस्ताक्षर)
प्रशासक
ग्राम पंचायत गनाहेड़ा
पं.स. अजमेर ग्रामीण (अजमेर)

(हस्ताक्षर)
ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत गनाहेड़ा
पं.स. अजमेर ग्रामीण (अजमेर)

कार्यालय ग्राम पंचायत गनाहेड़ा पंचायत समिति अजमेर ग्रामीण जिला अजमेर

तकनीकी निविदा प्रपत्र

1	निविदा सूचना संख्या	ई–निविदा सूचना **संख्या 02**
2	कार्य का नाम	ग्राम पंचायत गनाहेड़ा के समस्त गावों में घर एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से कचरा संग्रहण एवं पृथक्ककरण, सड़क एवं नाली सफाई, तथा सामुदायिक स्वच्छता परिसर की सफाई सहित कार्य
3	निविदादाता फर्म का नाम, पता मय दूरभाष / मोबाइल नं.	
4	निविदा अनुमानित लागत	राशि रु 1396300 लाख (निविदा सूचना अनुसार)
5	**निविदा प्रपत्र का शुल्क**	**Rs. 1500/- pay to Gram Panchayat Ganahera Bank Of Baroda Account 48010100000034 IFSC CODE –BARB0GANAHE) (Proof of Deposition to be uploaded)**
6	**ई–प्रक्रिया (प्रोसेसिंग) MDRISL शुल्क**	**500/- To Pay By Egras Challan In Head 8658-00-102-16-01-RISL Fess (Challan to be uploaded)**
7	**बोली प्रतिभूति राशि अनुमानित लागत का 2 प्रतिशत (Relaxtion As Per Rttp Act 2012 & Rule 2013)**	**27926/- pay to Gram Panchayat Ganahera Bank Of Baroda Account 48010100000034 IFSC CODE –BARB0GANAHE) (Proof of Deposition to be uploaded)**
9	फर्म का जीएसटी न.	
10	फर्म का पेन न.	
11	संवेदक का आधार कार्ड	
12	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 पंजीयन प्रति	
13	बैंक खाते का पूर्ण विवरण (निरस्त चैक की प्रति अपलोड करें)	
14	फर्म के पास उपलब्ध कचरा संग्रहण वाहनों का विवरण मय आर.सी. (टेक्ट्रर–ट्रॉली मान्य नहीं)	
15	फर्म का टर्नओवर (गत 02 वर्षों की दाखिल रिर्टन जो कार्य की लागत के बराबर या अधिक) का विवरण	
14	फर्म का कार्य अनुभव (न्यूनतम एक वर्ष सरकारी, अर्द्धसरकारी एवं निजी संस्था में नाली / शौचालय / सीवरेज टेंक सफाई कार्य) का विवरण	
15	**'NO OUTSTANDING STATUTORYDUES' Certificat** सी.ए. द्वारा **UDIN** से प्रमाणित	

कार्यालय ग्राम पंचायत **गनाहेड़ा** पंचायत समिति अजमेर ग्रामीण, जिला अजमेर द्वारा जारी की गई निविदा सूचना संख्या .... दिनांक .... हेतु मेरे द्वारा / फर्म द्वारा दी गई उक्त जानकारी सत्य है तथा उक्त निविदा सूचना की शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते है।

हस्ताक्षर निविदा दाता

ललिता देवी
प्रशासक
ग्राम पंचायत गनाहेड़ा
पं.स. अजमेर ग्रामीण (अजमेर)

Varsha..
ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत गनाहेडा
पं.स. अजमेर ग्रामीण (अजमेर)

कार्यालय,ग्राम पंचायत गनाहेड़ा पंचायत समिति अजमेर ग्रामीण जिला अजमेर

क्रमांकः–　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　दिनांकः–

उपापन की विषय–वस्तु का विवरण

कार्य का नाम :– ग्राम पंचायत **गनाहेड़ा** के समस्त गावों में घर एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से कचरा संग्रहण एवं पृथक्ककरण, सड़क एवं नाली सफाईतथा सामुदायिक स्वच्छता परिसर की सफाई सहित कार्य

ग्राम पंचायत :– **गनाहेड़ा** पंचायत समिति :– अजमेर ग्रामीण

ग्राम पंचायत में गांवों की संख्या 1 नाम :– गनाहेड़ा।

ग्राम पंचायतके अधीन गांवों में परिवारों की संख्या :– 1671

ग्राम पंचायत के अधीन सामुदायिक स्वच्छता परिसरों की संख्या :– 17

क्र. सं.	सामग्री विवरण	मात्रा / संख्या	दर (रू.)	अनुमानित मासिक लागत राशि (रू.)
1.	घर–घर (आवासीय एवं व्यवसायिक) : से गीला एवं सूखा कचरा संग्रहण मय निर्धारित कचरा संग्रहण स्थान (Dumping Yard) पर पहुंचाना।			
	(अ) जब वाहन ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध कराया जावे तथा वाहन हेतु ड्राईवर मय च्वस्र संग्रहण कार्य हेतु उपकरण, सुरक्षा उपकरण मय मेडिकल किट एवं श्रमिक आदि संवेदक द्वारा उपलब्ध कराकर कार्य ।	परिवारों की संख्या 1671	राशि रू. 0.80 प्रति घर (आवासीय एवं व्यवसायिक) प्रतिदिन	Nil
	(ब) जब वाहन, ड्राईवर मय PoL, श्रमिक कचरा संग्रहण मय निर्धारित कचरा संग्रहण स्थान (Dumping Yard) पर पहुंचाने सहित कार्य हेतु उपकरण, सुरक्षा उपकरण मय मेडिकल किट एवं श्रमिक आदि संवेदक द्वारा उपलब्ध कराकर कार्य, जिसमें कचरा पृथक्करण कर पृथक्करण में पाये गये प्लास्टिक अपशिष्ट का सुरक्षित निपटान (प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेन्ट नियम, 2016 यथा संशोधित कार्य) सम्मिलित है। **(महीने में 15 बार)**	परिवारों की संख्या – 1671	राशि रू 2.18 प्रति घर(आवासीय एवं व्यवसायिक)प्रतिदिन	**54641.7**
2.	कचरे से Degradable & Non-Degradable Waste का पृथक्ककरण कार्य, कार्य हेतु उपकरण एवं सुरक्षा उपकरण मय मेडिकल किट आदि संवेदक द्वारा उपलब्ध कराकर कार्यकिया जावे, जिसमें कचरा पृथक्करण कर पृथक्करण (प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेन्ट नियम, 2016 यथा संशोधित के अनुसार संवेदक से प्लास्टिक कचरे का निस्तारण) में पाये गये प्लास्टिक अपशिष्ट का सुरक्षित निस्तारण / निपटान कार्य सम्मिलित है। **(महीने में 15 बार)**	परिवारों की संख्या – 1671	राशि रू 0.45 प्रति घर(आवासीय एवं व्यवसायिक)प्रतिदिन	**11279.25**
3.	सड़क / बाजार / मुख्य चौक में झाडू एवं सफाई कार्य मय सफाई कार्य हेतु आवश्यक उपकरण क साथ–साथ सुरक्षा उपकरण मय मेडिकल किट आदि संवेदक द्वारा उपलब्ध कराना तथा कचरे का निर्धारित कचरा संग्रहण स्थान (Dumping Yard) पर पहुंचाना। **(महीने में 4 बार)**	वर्ग मीटर 47864	राशि रू. 0.10 प्रति वर्गमीटर	**19145.6**
4.	नाली सफाई कार्य मय कार्य हेतु आवश्यक उपकरण के साथ–साथ सुरक्षा उपकरण मय मेडिकल किट आदि संवेदक द्वारा उपलब्ध कराना सहित कचरे का निर्धारित कचरा संग्रहण स्थान (Dumping Yard) पर पहुंचाना। **(महीने में 2 बार)**	घन मीटर 54.24	राशि रू. 57.69 प्रति घनमीटर (वास्तविक कचरे की मात्रा अनुसार)	**6258.211**
5.	सामुदायिक स्वच्छता परिसर (CSC) की सफाई का कार्य मय कार्य हेतु आवश्यक उपकरण, सीट, फर्श, टाईल्स सफाई हेतु आवश्यक सामग्री के साथ–साथ सुरक्षा उपकरण मय मेडिकल किट आदि सहित कार्य। **(महीने में 30 बार)**	संख्या 17	राशि रू. 49.08 प्रति सी.एस.सी. एक बारिय	**25030.8**
			कुल योग (मासिक)	**116355.6**
			कुल योग (वार्षिक)	**1396267**

उपापन संस्था ग्राम पंचायत / पंचायत समिति

शीला देवी

प्रशासक
ग्राम पंचायत गनाहेड़ा
पं.स. अजमेर ग्रामीण (अजमेर)

Varsha..

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत गनाहेड़ा
पं.स. अजमेर ग्रामीण (अजमेर)

कार्यालय, ग्राम पंचायत गनाहेड़ा पंचायत समिति अजमेर ग्रामीण जिला अजमेर

क्रमांकः–   दिनांकः–

वित्तीय निविदा प्रपत्र

कार्य का नाम :–ग्राम पंचायत के समस्त गावों में घर एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से कचरा संग्रहण एवं पृथक्ककरण, सड़क एवं नाली सफाई, तथा सामुदायिक स्वच्छता परिसर की सफाई सहितकार्य

फर्म का नाम :–

क्र. सं.	सामग्री विवरण	मात्रा / संख्या	दर (रू.)	अनुमानित मासिक लागत राशि (रू.)
1.	घर–घर (आवासीय एवं व्यवसायिक) : से गीला एवं सूखा कचरा संग्रहण मय निर्धारित कचरा संग्रहण स्थान (Dumping Yard) पर पहुंचाना।			
	(अ) जब वाहन ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध कराया जावे तथा वाहन हेतु ड्राईवर मय च्वस्र संग्रहण कार्य हेतु उपकरण, सुरक्षा उपकरण मय मेडिकल किट एवं श्रमिक आदि संवेदक द्वारा उपलब्ध कराकर कार्य ।	परिवारों की संख्या	राशि रू.........प्रति घर (आवासीय एवं व्यवसायिक) प्रतिदिन	
	(ब) जब वाहन, ड्राईवर मय PoL, श्रमिक कचरा संग्रहण मय निर्धारित कचरा संग्रहण स्थान (Dumping Yard) पर पहुंचाने सहित कार्य हेतु उपकरण, सुरक्षा उपकरण मय मेडिकल किट एवं श्रमिक आदि संवेदक द्वारा उपलब्ध कराकर कार्य, जिसमें कचरा पृथक्करण कर पृथक्करण में पाये गये प्लास्टिक अपशिष्ट का सुरक्षित निपटान (प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेन्ट नियम, 2016 यथा संशोधित कार्य) सम्मिलित है। **(महीने में 15 बार)**	परिवारों की संख्या –	राशि रू........प्रति घर(आवासीय एवं व्यवसायिक)प्रतिदिन	
2.	कचरे से Degradable & Non-Degradable Waste का पृथक्ककरण कार्य, कार्य हेतु उपकरण एवं सुरक्षा उपकरण मय मेडिकल किट आदि संवेदक द्वारा उपलब्ध कराकर कार्यकिया जावे, जिसमें कचरा पृथक्करण कर पृथक्करण (प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेन्ट नियम, 2016 यथा संशोधित के अनुसार संवेदक से प्लास्टिक कचरे का निस्तारण) में पाये गये प्लास्टिक अपशिष्ट का सुरक्षित निस्तारण / निपटान कार्य सम्मिलित है। **(महीने में 15 बार)**	परिवारों की संख्या –	राशि रू .... प्रति घर(आवासीय एवं व्यवसायिक)प्रतिदिन	
3.	सड़क / बाजार / मुख्य चौक में झाडू एवं सफाई कार्य मय सफाई कार्य हेतु आवश्यक उपकरण क साथ–साथ सुरक्षा उपकरण मय मेडिकल किट आदि संवेदक द्वारा उपलब्ध कराना तथा कचरे का निर्धारित कचरा संग्रहण स्थान (Dumping Yard) पर पहुंचाना। **(महीने में 4 बार)**	वर्ग मीटर	राशि रू. .... प्रति वर्गमीटर	
4.	नाली सफाई कार्य मय कार्य हेतु आवश्यक उपकरण के साथ–साथ सुरक्षा उपकरण मय मेडिकल किट आदि संवेदक द्वारा उपलब्ध कराना सहित कचरे का निर्धारित कचरा संग्रहण स्थान (Dumping Yard) पर पहुंचाना। **(महीने में 2 बार)**	घन मीटर	राशि रू. .... प्रति घनमीटर (वास्तविक कचरे की मात्रा अनुसार)	
5.	सामुदायिक स्वच्छता परिसर (CSC) की सफाई का कार्य मय कार्य हेतु आवश्यक उपकरण, सीट, फर्श, टाईल्स सफाई हेतु आवश्यक सामग्री के साथ–साथ सुरक्षा उपकरण मय मेडिकल किट आदि सहित कार्य। **(महीने में 30 बार)**	संख्या	राशि रू. .... प्रति सी. एस.सी. एक बारिय	
			कुल योग (मासिक)	
			कुल योग (वार्षिक)	

मैं / मेरी फर्म / हमारी फर्म उक्तानुसार निविदा राशि से .... प्रतिशत (कम / ज्यादा) पर निविदा की शर्तो के अनुसार कार्य करना स्वीकार करता हूँ / करते हैं।

निविदादाता

लीला देवी

प्रशासक
ग्राम पंचायत गनाहेड़ा
पं.स. अजमेर ग्रामीण (अजमेर)

Varsha

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत गनाहेड़ा
पं.स. अजमेर ग्रामीण (अजमेर)

निविदा शर्तें

1. **निविदाएं केवल ऑनलाईन ही स्वीकार की जावेगी। ई–टेंडरिग के लिये निविदादाता हेतु निर्देश–**

(अ) इन निविदाओं में इच्छुक निविदादाता निविदा प्रपत्रों को **http://sppp.rajasthan.gov.in** एवं **http://www.eproc.rajasthan.gov.in** से डाउनलोड किया जा सकता है।

(ब)निविदाओं में भाग लेने वाले निविदादाताओं को इन्टरनेट साइट**http://www.eproc.rajasthan.gov.in**पर रजिस्टर्ड करवाना होगा। ऑनलाईन निविदा में भाग लेने के लिये डिजिटल सर्टिफिकेट इन्फॉरमेशन टेक्नोलोजी एक्ट 2000 के तहत प्राप्त करना होगा जो इलैक्ट्रोनिक निविदा में हस्ताक्षर करने हेतु काम आयेगा। निविदादाता उपरोक्त डिजिटल सर्टिफिकेट सी0सी0ए0 द्वारा स्वीकृत ऐजेन्सी से प्राप्त कर सकते है। जिन निविदादाताओं के पास पूर्व में वैध डिजिटल सर्टिफिकेट है, उनको पुनः लेने की आवश्यकता नही है।

(स) निविदादाताओं को निविदा प्रपत्र इलैक्ट्रोनिक फॉरमेट उपरोक्त वेबसाइट पर डिजिटल हस्ताक्षरके साथ प्रस्तुत करना होगा। जिसके प्रस्ताव डिजिटल हस्ताक्षर के साथ नही होगें उनके प्रस्ताव स्वीकार नही किये जायेगें। कोई भी प्रस्ताव अकेले भौतिक फार्म में स्वीकार्य नही होगा।

(द) इलैक्ट्रोनिक निविदा प्रपत्रों को जमा कराने से पूर्व निविदादाता यह सुनिश्चित कर लेवे कि निविदा प्रपत्रों से सम्बधित सभी आवश्यक दस्तावेज की स्केन कॉपी निविदा प्रपत्रों के साथ संलग्न कर दी गयी है।

(य) कोई भी टेन्डर इलैक्ट्रोनिक जमा कराने में किसी कारण से विलम्ब/लेट हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कार्यालय/विभाग नही होगा।

(र) टेन्डर के प्रपत्रों में आवश्यक सभी सूचियों को सम्पूर्ण रूप से भर कर ऑनलाईन दर्ज करे।

2. दरे शब्दों एवं अंको दोनो में लिखी जायेगी तथा इसमें कोई त्रुटि या काट–छांट, ओवर राईटिंग नहीं होनी चाहिए।
3. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012, नियम 2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं इस सम्बन्ध में वित्त विभाग, राजस्थान द्वारा जारी अधिसूचना, परिपत्र, गाईडलाईन आदेश, निर्देश आदि प्रभावी रहेंगे।
4. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्दीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व सम्बन्धित संवेदक/बोलीदाता का होगा।
5. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक/बोलीदाता ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि सम्पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ प्रस्तुत की जायेगी।
6. निविदादाता को इस प्रपत्र पर अंकित सभी दस्तावेजो की छायाप्रतियां स्वप्रमाणित कर इस तकनीकी निविदा प्रपत्र के साथ अपलोड करनी होगी।
7. श्रम विधि नियम उपनियम व अधिसूचनाऐं आदि में दिये गये दिशा–निर्देशों की पालना एवं समस्त श्रम नियमों की पालना करने का दायित्व सेवा प्रदायकर्ता का होगा। श्रम विधि नियम उपनियम एवं अधिसूचनाओं की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिए सेवा प्रदायकर्ता स्वयं उत्तरदायी होगा। सेवा प्रदायकर्ता को श्रम विधि नियम उपनियम तथा केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों एवं श्रमिक हित में जारी किये गये संशोधन की पालना करने का दायित्व ठेकेदार/सेवाप्रदाता का होगा, पालना नहीं करने की स्थिति में विभाग को निविदा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
8. बोलीदाता को आवश्यकतानुसार/एक वर्ष तक अथवा आगामी निविदा की प्रक्रिया पूर्ण होने तक अनुमोदित दर से कार्य जारी रखने होगें तथापि कार्य संतोषजनक होने पर आपसी सहमति से अनुबन्ध की अवधि नियमानुसार आगे बढाई जा सकेगी।

प्रशासक
ग्राम पंचायत गनाहेड़ा
पं.स. अजमेर ग्रामीण (अजमेर)

Varsha..
ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत गनाहेडा
पं.स. अजमेर ग्रामीण (अजमेर)

9. श्रम अधिनियम के प्रावधानों की पालना नहीं होने पर उनके विरूद्ध श्रमिक द्वारा श्रम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने की स्थिति में निविदादाता स्वयं के खर्चे से वाद का निस्तारण करायेगा। यदि अनुबन्ध अवधि में लगाये गये श्रमिक के साथ कोई दुर्घटना हो तो उससे होने वाले प्रत्येक दायित्व के लिए निविदादाता पूर्ण जिम्मेदार होगा। विभाग की प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
10. बोलीदाता द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किये जाने की शिकायत उपापन संस्था को प्राप्त होती है तो उपापन संस्था इस संबंध में श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित करेगी और नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक को डीबार कराने की कार्यवाही करेगी।
11. संवेदक/बोलीदाता द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा। सम्बन्धित संवेदक/बोलीदाता द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि का विवरण आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।
12. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को भुगतान करने का दायित्व सम्बन्धित संवेदक/बोलीदाता को होगा। संवेदक/बोलीदाता को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार समस्त श्रमिकों का नियमानुसार EPF, ESI जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिक की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक/बोलीदाता का अंशदान शामिल होगा। संवेदक/बोलीदाता द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के EPFऔर ESI के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में सम्बन्धित चालान की प्रति प्रस्तुत किऐ जाने पर ही संवेदक/बोलीदाता को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।
13. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक/बोलीदाता का ही होगा।
14. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिशा निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिए संवेदक/बोलीदाता स्वयं उत्तरदायी होगा।
15. यदि संवेदक/बोलीदाता एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसके प्रबंधकीय जिम्मेदारी संवेदक/बोलीदाता की होगी। इसके लिये उपापन संस्था के समक्ष प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियम एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालना करने के लिए उत्तरदायी होगा।
16. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने का औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों, के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा।
17. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के सम्बन्ध में/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ESI करवाने/सामूहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा, इसके लिये इस कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
18. बोली की विधि मान्यता वित्तीय बोली/प्राईस बिड खुलने की तिथि से 90 दिन की अवधि के लिए विधि मान्य होगी।
19. बोलीदाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सोपेगा या भाडे (Sub-let)पर नहीं देगा।
20. जिस बोलीदाता को बोली स्वीकार की जायेगी, वह कार्यादेश जारी होने के 07 दिवस में कार्य प्रारम्भ करेगा।
21. **मूल्यांकन की कसौटी** – तकनीकी–वाणिज्यिक बोली में सफल/क्वालिफाईड बोलीदाता/संवेदक की न्यूनतम कीमत के आधार पर वित्तीय बोली/क्वालिफाईड बिड का मूल्यांकन किया जावेगा। न्यूनतम बोलीदाता एक से अधिक होने पर बोलीदाता का अधिकतम टर्नऑवर के आधार पर मूल्यांकन किया जावेगा।
22. **बोलियों का अपवर्जन** :– अधिनियम की धारा 25 में उल्लेखित आधार पर बोली को अपवर्जित किया जा सकेगा।
23. सफल निविदादाता द्वारा कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि निविदा शर्ते/**उपापन नियमों के अनुसार ऑनलाईन ग्राम पंचायत के बचत खाता संख्या जो तकनीकी निविदा प्रपत्र तालिका के क्रम संख्या 5 में**

शीला देवी
प्रशासक
ग्राम पंचायत गनाहेड़ा
पं.स. अजमेर ग्रामीण (अजमेर)

Varsha
ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत गनाहेड़ा
पं.स. अजमेर ग्रामीण (अजमेर)

अंकित है मे ऑनलाईन जमा कराने के पश्चात् ही कार्यादेश जारी किया जावेगा। सफल बोलीदाता के करार निष्पादन पर और कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने या उपापन प्रक्रिया के निरस्तीकरण पर शीघ्र ही बोली प्रतिभूति बोलीदाताओं को लौटा दी जावेगी।

24. बोली प्रतिभूति का समपहरण (Forfeiture of Bid security) बोली प्रतिभूति का निम्नलिखित मामलों में समपहरण) किया जा सकेगा :–

(क.) जब बोलीदाता बोली खुलने के बाद किन्तु बोली को स्वीकार करने के पूर्व अपने प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रूपान्तरण करता है।

(ख.) जब बोलीदाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर करार निष्पादन नहीं करना है।

(ग.) जब बोलीदाता बोली स्वीकृति की सूचना के पश्चात कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं कराता है।

(घ.) जब सफल बोलीदाता निर्धारित सप्लाई अवधि में कार्य प्रारम्भ नहीं करता।

(ड़) यदि बोली लगाने वाला अधिनियम और इन नियमों के अध्याय–6 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालों के लिए विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध को भंग करता है।

25. कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का समपहरण (Forfeiture of work Performance Security Deposit) :– कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नांकित मामलों में समपहरण किया जा सकेगा।

(क.) जब निविदा की शर्तो का उल्लंघन किया गया हो।

(ख.) जब बोलीदाता कार्य/सम्पूर्ण सेवा सप्लाई सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हों।

(ग.) जब बोलीदाता सेवा सप्लाई/कार्य आदेश के अनुसार निर्धारित सप्लाई अवधि में सेवा की सप्लाई आरम्भ करने में असफलरहता हो। कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के समपहरण करने के मामलों में युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में उपापन संस्था का निर्णय अंतिम होगा।

26. करार एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति :–

(अ.)बोली आमंत्रण में अंकित सेवा की आपूर्ति हेतु सफल बोलीदाता को बोली स्वीकृति आदेश पत्र की दिनांक से अधिकतम 7 दिन में सेवा के प्रदाय आदेश की रकम की पांच प्रतिशत राशि कार्य सम्पादन प्रतिभूति के रूप में ऑनलाईन ग्राम पंचायत **गनाहेड़ा** के नाम जमा करानी होगी एवं नियमानुसार 500/–नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियम में निर्धारित एस.आर. प्रारूप 17 में एक करार पत्र निष्पादन करना होगा।

(ब.) सफल बोली दाता द्वारा , बोली प्रतिभूति की राशि को कार्य निष्पादन प्रतिभूति की राशि में समायोजन की जा सकती है या लौटायी जा सकती है, यदि सफल बोली लगाने वाला पूर्ण कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमाकराता है।।

(स.)कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जायेगा।

27. **भुगतान :–** सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार उचित प्रारूप में बिल तीन प्रतियों में प्रस्तुत करने पर नियमानुसार भुगतान किया जायेगा। अनुबंधित बोलीदाता द्वारा प्रत्येक माह का बिल भुगतान हेतु आगामी माह के प्रारम्भ के 03 कार्य दिवस में प्रस्तुत किया जावेगा। विलम्ब से बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान में होने वाले विलम्ब के लिए अनुबंधित बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार होगा।

28. **परिनिर्धारित क्षति (Liquidate Damages) :–** सेवादाता फर्म द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार यदि सेवा उपलब्ध नहीं कराई जाती है, तो प्रतिदिन – रू. 1500/– की शास्ति लगाई जावेगी, जिसकी अधिकतम सीमा अनुबंध राशि से ज्यादा नहीं होगी।

29. निविदा प्रपत्र पर संवेदक/संस्था द्वारा हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत करने का प्रमाण पत्र संलग्न करें।

30. यदि संवेदक/संस्था द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को निविदा प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत किया गया है तो अधिकृति प्रमाण पत्र (**Resolution, Power Of Attorney**) संलग्न करें।

31. संवेदक/बोलीदाता को दी जाने वाली **EPF,ESI** एवं जी.एस.टी की दरो में केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशो के अनुसार कमी या वृद्धि की जा सकेगी।

32. किसी निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने या किसी बोली को निरस्त करने का उपापन समिति का अधिकार सुरक्षित है।

33. एम.एस.एक्ट 2013 की पालना एवं सुरक्षा उपायों तथा किसी प्रकार के मुआवजें का भुगतान स्वीकृत बोलीदाता द्वारा किया जावेगा।

शिला देवी
प्रशासक
ग्राम पंचायत गनाहेड़ा
पं.स. अजमेर ग्रामीण (अजमेर)

Varsha
ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत गनाहेडा
पं.स. अजमेर ग्रामीण (अजमेर)

34. स्वीकृत बोलीदाता द्वारा निविदा प्रपत्र में वर्णित घर एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से कचरा संग्रहण एवं आर.आर.सी. पर कचरे का पृथक्कीकरण, बाजार/चौक/रोड़ पर झाडू/सफाई एवं नाली सफाई तथा सामुदायिक स्वच्छता परिसर सफाई हेतु वाहन/श्रमिक/सफाई उपकरण आदि उपलब्ध करवाना अनिवार्य होगा।

35. उपापन संस्था/ग्राम पंचायत द्वारा कार्य निर्धारित मापदण्डों के अनुसार नहीं करने पर गतिविधिवार/दैनिक राशि में कटौती की जा सकेगी।

36. किसी भी विवाद के लिए अन्तिम निर्णय संबंधित विकास अधिकारी, पंचायत समति का मान्य होगा।

37. क्षेत्र की सफाई में होने वाले समस्त प्रकार के व्यय संवेदक द्वारा वहन किये जायेंगे (जैसे डंडे वाली झाडू,फावड़े, परात, कसिया,डस्टबिन,पुशकार्ट,हेंड ग्लब्स, मास्क, सेफ्टी जूते, ऑवर कोर्ट, सबल परिवहन के साधन का मैन्टीनेंस आदि)।

38. प्लास्टिक पृथक्करण का कार्य अनिवार्य रूप से किया जाएगा। प्लास्टिक पृथक्करण नहीं किए जाने पर, फर्म को अन्य कार्य पर भुगतान नहीं किया जाएगा।

39. वाहन में गिला एवं सूखा कचरा अलग–अलग एकत्रित किए जाने की व्यवस्था संवेदक द्वारा अनिवार्य रूप से की जानी है। घर–घर कचरा संग्रहण टेक्ट्रर–ट्रॉली से नहीं किया जाएगा।

40. संवेदक द्वारा एकत्रित कचरे को ग्राम पंचायत द्वारा बनाए गए कचरा संग्रहण केन्द्र में डाला जाना अनिवार्य है। भौतिक रूप से निरीक्षण किए जाने पर उक्तानुसार कार्य नहीं किए जाने पर भुगतान संबंधि कार्यवाही नहीं की जाएगी एवं फर्म पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

41. संवेदक द्वारा एकत्रित कचरे को ग्राम पंचायत स्तर पर कचरा संग्रहण केन्द्र नहीं होने पर ग्राम पंचायत द्वारा चयन किए गए स्थान पर डाल कर तारबंदी/अन्य व्यवस्था करके पर्यावरण के मानकों का ध्यान रखते हुए प्लास्टिक पृथक्करण का कार्य किया जाएगा।

42. संवेदक द्वारा एकत्रित कचरे को कचरा संग्रहण केन्द्र एवं चयनित स्थान पर नहीं डाल कर अन्य स्थान यथा नदी, नाले एवं अव्यवस्थित रूप से डालते हुए पाया गया तो फर्म के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही (ब्लैकलिस्ट) की कार्यवाही की जावेगी।

43. सामूहिक/सामाजिक/धार्मिक/शादी/मांगलिक आदि समारोह एवं हाट बाजार में उत्पन्न कचरा का निस्तारण संवेदक द्वारा किया जायेगा।

44. संवेदक के पास सफाई कर्मचारी हेतु काम में लिए जाने वाले उपकरण तथा समान अच्छी गुणवत्तापूर्ण स्थिति में होने चाहिए।

45. सड़क/सार्वजनिक स्थान पर पेड़ों के पत्ते, छोटे कंकड़ पत्थर आदि की सफाई कार्य संवेदक द्वारा किया जायेगा। बड़े पत्थर का मलबा आदि का निस्तारण संबंधित द्वारा अलग से किया जायेगा।

46. ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं के बाडे/तबैले के बाहर सार्वजनिक स्थानों पर सफाई संवदेक द्वारा की जायेगी।

47. राजकीय विद्यालयो के बाहर एवं कमरों के बाहर अर्थात चारदिवारी के अंदर के सार्वजनिक परिसर में कचरा संग्रहण कार्य संवदेक द्वारा किया जायेगा। इसमें इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि स्वच्छता हेतु अनुदान या अन्य कोई राशि का व्यय इस कार्य हेतु नहीं किया गया हो।

48. सामुदायिक स्वच्छता परिसर में निर्धारित टॉयलेट सीट/यूरिनल आदि (पुरुषों एवं महिलाओं की अलग–अलग शौचालय सीट एवं यूरिनल, वॉस–वैसीन आदि) के अतिरिक्त सीट/यूरिनल की सफाई करने पर पृथक से भुगतान देय होगा।

49. **सफाई कार्य हेतु नियोजित श्रमिकों का बीमा करवाने का दायित्व संबंधित संवेदक का होगा।**

50. निविदा में वर्णित कार्य का समय प्रातः ..... से ..... बजे तक रहेगा तथा समय परिवर्तन आपसी बातचीत से सरपंच/प्रशासक/ग्रा.वि.अ. के निर्देशानुसार परिवर्तन किया जा सकेगा।

51. स्वीकृत बोलीदाता अथवा श्रमिकों द्वारा ग्राम पंचायत से किसी भी प्रकार के रोजगार की मांग नहीं की जा सकेगी।

52. कचरे का संग्रहण एवं पृथक्कीकरण एवं निस्तारण वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार आर.आर.सी. पर किया जायेगा, जिसमें प्लास्टिक कचरे का निस्तारण सम्मिलित है। प्लास्टिक कचरे का निस्तारण प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 (यथा संशोधित) के अनुसार करना होगा।

53. कचरे का परिवहन ट्रोली में करते समय कचरा ढक कर ले जाना होगा।

54. किये गये कार्य का सत्यापन एवं कार्य के भुगतान की अनुशंषा संबंधित वार्ड पंच, ग्राम पंचायत की समिति एवं ग्राम विकास अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

लीला देवी
प्रशासक
ग्राम पंचायत गनाहेड़ा
पं.स. अजमेर ग्रामीण (अजमेर)

Varsha..
ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत गनाहेड़ा
पं.स. अजमेर ग्रामीण (अजमेर)

55. कार्य का सत्यापन किये जाने एवं भुगतान की अनुशंषा उपरांत भुगतान मासिक आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा किया जायेगा।
56. स्वीकृत बोलीदाता द्वारा किये गये कार्य का लॉगबुक/रजिस्टर (ग्राम पंचायत में संधारित) में दैनिक आधार पर इन्द्राज किया जायेगा।
57. ग्राम पंचायत में संधारित सफाई कार्य से संबंधित लॉगबुक/रजिस्टर का प्रतिदिन ग्राम विकास अधिकारी/सरपंच/प्रशासक द्वारा निरीक्षण किया जायेगा एवं समय-समय पर जन प्रतिनिधि/पंचायत समिति/जिला के अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जायेगा।
58. यह निविदा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 में उल्लेखित नियम, राजस्थान लोक उपादान पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों के अधीन होगी।
59. स्वच्छता सम्बन्धी राज्य स्तर/जिला स्तर/प. समिति स्तर से जारी आदेशो/नियम/शर्तो की पालना निविदादाता को करनी होगी।
60. समय-समय पर कार्य के मूल्याकंन एवं पर्यवक्षण हेतु राज्य एवं जिला स्तर अपनाई जाने वाली व्यवस्था यथा Online dashboard/APP based platform पर साफ-सफाई की फोटोग्राफ इत्यादि सबंधित व्यवस्था यदि लागू की जाती है तो सवेंदक को मान्य होगी एवं बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के लागू करनी होगी।
61. सफल निविदाता को स्वच्छता कार्यों हेतु मांगे जाने पर ऐसे /श्रमिक मानव संसाधन जो परंपरागत कार्य करने वाले पूर्व /पूर्व में सफाई कार्य के अनुभवी व्यक्तियों या उनके समूह को प्राथमिकता के अनुसार नियोजित करना होगा।
62. स्वीकृत बोली दाता को ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम/ पोर्टल लागू किए जाने पर वाहनों में जीपीएस स्थापित करना होगा।
63. निविदादाता को कार्य करने वाले श्रमिकों का माह के प्रथम सप्ताह में मजदूरी भुगतान करना होगा तथा श्रमिकों के मजदूरी भुगतान में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की पालना की जाएगी।
64. निविदा की शर्तों में स्वच्छता का कार्य करने वाले श्रमिकों हेतु पी.पी.ई किट/सुरक्षा उपकरण संवेदक द्वारा आवश्यक रूप से उपलब्ध करवाए जाएंगे।
65. यदि संवेदक/बोली जाता द्वारा कार्य मशीनों की अतिरिक्त श्रमिकों को नियोजित कर किया जाता है तो राज्य/केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार श्रमिकों के समस्त दायित्वों (यथा EPF,ESI आदि) की पालना संवेदक द्वारा की जाएगी।
66. श्रमिक द्वारा 8 घंटे से अधिक कार्य करने पर दुगनी दर से तथा 8 घंटे से कम कार्य करने पर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अनुसार भुगतान करना होगा।
67. संवेदक/बोली दाता द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से ऑनलाइन माध्यम से उनके बैंक खाते में ही किया जाएगा। संबंधित संवेदक/ बोलीदाता द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि का विवरण आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि की विवरण बाबत संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।
68. सफाई के संबंध में प्राप्त शिकायत (Online/Ofline) का निस्तारण संबंधित फर्म को 24 घंटे में अनिवार्य रूप से करना होगा अन्यथा प्रतिदिन रु. 500 का जुर्माना फर्म पर लगाया जा सकेगा।
69. कचरे के निस्तारण हेतु डंपिंग यार्ड/आर.आर.सी. का स्थान निविदा प्रपत्र में तय किया जायेगा। आर. आर.सी./तय स्थान से दूरी अधिक होने पर आनुपातिक रूप से भुगतान देय होगा।
70. संवेदक को सफाई कार्य हेतु नियोजित श्रमिकों को श्रम विभाग के नियमों/अधिनियमों तथा समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं के अनुसार अवकाश प्रदान करना होगा।
71. सभी निविदा का न्याय क्षेत्र पंचायत समिति अजमेर ग्रामीण जिला अजमेर होगा।

मेरे द्वारा उपर्युक्त शर्तो को अक्षरशः पढ़ व समझ लिया गया है एवं उक्त शर्तो की पालना करते हुए मेरे द्वारा उपलब्ध करायी गयी दरों पर आप द्वारा वांछित सामग्री/सेवा निविदा में वर्णित स्पेसिफिकेशन के अनुसार उपलब्ध कराने को सहमत हूँ।

हस्ताक्षर निविदादाता

प्रशासक
ग्राम पंचायत गनाहेड़ा
पं.स. अजमेर ग्रामीण (अजमेर)

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत गनाहेड़ा
पं.स. अजमेर ग्रामीण (अजमेर)

शपथ पत्र

(100 रू के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर)

मैं..पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ....उम्र............ निवासी ....तहसील.................जिला.............शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि –

1. मेरी फर्म/कम्पनी का नाम .... है।
2. मेरी फर्म/कम्पनी का जी0 एस0 टी0 पंजीयन संख्या ....है।
3. मैं इस फर्म /कम्पनी का प्रोपराइटर/ अधिकृत प्रतिनिधि हूँ ।
4. मेरी फर्म/कम्पनी किसी भी सरकारी विभाग/राजकीय उपक्रम/स्वायतशासी संस्था/सरकारी निगम/प्राईवेट संस्था मे ब्लैक लिस्टेड नही है।
5. मेरी फर्म/कम्पनी द्वारा सभी प्रकार के कर समय पर संबंधित विभाग मे जमा करवाये जाते है।
6. मेरी फर्म/कम्पनी द्वारा निविदा की शर्तों के अनुसार संलग्न किये गये वितीय वर्ष 2022–23 एवं वितीय वर्ष 2024–25 मे से किसी भी एक वितीय वर्ष मे निविदा की अनुमानित लागत के बराबर टर्नओवर एवं वितीय वर्ष 2025–26 के चतुर्थ तिमाही की जी.एस.टी. रिटर्न जमा करवाये जाने के अधिकृत दस्तावेज हेतु चार्टेड एकाउन्टेन्ट/फर्म.. के द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र पूर्ण रूप से सत्य है ।

उक्त शपथ पत्र मे वर्णित समस्त तथ्य मेरी निजी जानकारी एवं ज्ञान से सही एवं सत्य है । कोई भी कथन असत्य पाए जाने पर सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी स्वयं की होगी ।

हस्ताक्षर
शपथ ग्रहिता

सत्यापन

मैं उपरोक्त शपथ ग्रहिता सत्यापन करता/करती हूँ, कि उक्त शपथ पत्र मे वर्णित समस्त तथ्य मेरी निजी जानकारी एवं ज्ञान से सही एवं सत्य है ।

हस्ताक्षर
शपथ ग्रहिता

लीला देवी
प्रशासक
ग्राम पंचायत गनाहेड़ा
पं.स. अजमेर ग्रामीण (अजमेर)

Varsha..
ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत गनाहेड़ा
पं.स. अजमेर ग्रामीण (अजमेर)

(TO BE ISSUED BY PRACTISING CHARTERED ACCOUNTANT ON THE LETTER HEAD)

Date:

To
Tender Inviting Authority/Village Development Officer
Gram Panchayat ………………………

Dear Sir,

Sub: Certificate for participation in Tenders issued by Gram Panchayat……………….. Panchayat Samiti Ajmer Rural

This is to certify that M/s ______________________________ (Agency Name & Address) are in the business of contracts execution for ______ completed years (considered upto ….. march …….). This is further certified that the above Turnover is in line with the Turnover declared by the Agency in their Audit Report/Income Tax Returns filed under PAN No: ___________

and

The above Turnover is in line with GST Returns submitted by the Agency under GSTIN No: __________________ which are verified by us.

And

This is further certified that M/s ______________________________ (Agency Name & Address) has filed its GSTR for the month/quarter (as applicable) for the period ending march 2024 referred as below

S.No.	Particular	Periodicity	Date of filing
1.	GSTR 1	Qrtly/Monthly	
2.	GSTR 3B	Monthly	
3.	GSTR 4	Qrtly	

And

This is further certified that M/s ______________________________ (Agency Name & Address) has filed its ITR forthe preceding 03 (three) years are referred as below

S.No.	Particular	Periodicity	Date of filing
1.	ITR fy 2022-23	Yearly	
2.	ITR fy 2023-24	Yearly	
3.	ITR fy 2024-25	Yearly	

Also we hereby certify that the above mentioned entity has **'NO OUTSTANDING STATUTORYDUES'** as on the date of signing of this certificate for the period ending as on 31 March …………..

Place:

Date: **UDIN:**

Charted accountant

Signaturewith Seal

Membership No

शीलादेवी
प्रशासक
ग्राम पंचायत गनाहेड़ा
पं.स. अजमेर ग्रामीण (अजमेर)

Varsha..
ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत गनाहेडा
पं.स. अजमेर ग्रामीण (अजमेर)

निविदा दाता द्वारा घोषणा

मै/हम घोषणा करता हूँ/करते है कि जिस कार्य के लिए निविदा की गई है उसका मेरे/संस्था के पास कार्य पूर्ण अनुभव है। यदि यह घोषणा असत्य पाई जावें तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो कि की जा सकती है पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी धरोहर राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से जब्त की जा सकती है तथा निविदा को जिस भाग/सीमा तक स्वीकार किया गया है को रद्द किया जा सकेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

प्रशासक
ग्राम पंचायत गनाहेड़ा
पं.स. अजमेर ग्रामीण (अजमेर)

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत गनाहेडा
पं.स. अजमेर ग्रामीण (अजमेर)

FORM No.1
(See rule 83)

Memorandum of Appeal under the RajasthanTransparency in Public Procurement Act, 2012
Appeal No............................of......................Before the.............. (First /second Appellate Autherty)

1. Particulars of appellant:
(a) Name of the appellant:
(ii) Official address, if any:
(iii) Residential address:
2. name and address of the respondent
(i)
(ii)
(iii)
3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/ authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the procuring entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:
4. if the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:
5. number of affidavits and documents enclosed with the appeal:
6. Grounds of appeal:.......................................(Supported by an affidavit)
7. Prayer: ....

Place..
Date..............................
Appellant's Signature

Date
Place
Designation
Address

signature of bidder
name

शीला देवी
प्रशासक
ग्राम पंचायत गनाहेड़ा
पं.स. अजमेर ग्रामीण (अजमेर)

Varsha..
ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत गनाहेड़ा
पं.स. अजमेर ग्रामीण (अजमेर)

Annexure A: Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall-

(b) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(c) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(d) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(e) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(f) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(g) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(h) disclose conflict of interest, if any; and

(i) disclose any previous transgressions with any entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interest that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if including but not limited to:

a. have controlling partners/ shareholders in common; or

b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or

c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or

d. have a relationship with each other directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the procuring Entity regarding the bidding process; or

e. the Bidder participates in more than one Bid in bidding process. Participation by a Bidder in more than on Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participate as Bidder, in more than one Bid; or

f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, words or services that are the subject of the Bid; or

g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to the hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Date signature of bidderPlace

name

लीला देवी
प्रशासक
ग्राम पंचायत गनाहेड़ा
पं.स. अजमेर ग्रामीण (अजमेर)

Varsha..
ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत गनाहेडा
पं.स. अजमेर ग्रामीण (अजमेर)

कार्यालय ग्राम पंचायत गनाहेड़ा पंचायत समिति अजमेर जिला– अजमेर

Annexure B: Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to ....for procurement of ....in response to their Notice Inviting Bids No...................... Dated .... I/we hereby declare under section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled by/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the bidding document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have , my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceeding for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statement s or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceeding;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the bidding Document, which materially affects fair competition;

Date

place

designation

Address

signature of bidder

name

प्रशासक
ग्राम पंचायत गनाहेड़ा
पं.स. अजमेर ग्रामीण (अजमेर)

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत गनाहेड़ा
पं.स. अजमेर ग्रामीण (अजमेर)

कार्यालय ग्राम पंचायत गनाहेड़ा पंचायत समिति अजमेर जिला– अजमेर

Annexure C: Grievance Redressal during procurement Process

The designation and address of the first Appellate Authority is

The designation and address of the Second Appellate Authority is

1 Filling an appeal

If any bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the procuring Entity is in contravention to the provision of the Act of the rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to first appellate authority, as specified in the bidding document with in a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be clearly giving the specific ground or grounds on which he fells aggrieved:

Provided that after the declaration of a bidder as successful the appeal may be filed only by a bidder who has participated in procurement proceeding: Provided further that in case a procuring Entity evaluates the technical bids before the opening of the financial bids,. An appeal related to the matter of financial bids may be filed only by a bidder whose technical bid is found to be acceptable.

2. The officer to whom an appeal is filed under parl (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavourto dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

3 If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2) or if the bidder of prospective bidder of the procuring entity, is aggrieved by the order passed by the first appellate authority the bidder or prospective bidder or the procuring entity as the case may be may file a second appeal to second Appellate authority specified in the bidding document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the first appellate authority, as the case may be.

4. Appeal not to lie in certain case : No appeal shall lie against any decision of the procuring entity relating to the following matters namely:-

(a) determination of need of procurement
(b) provisions limiting participation of bidders in the bid process
(c) the decision of whether or not to enter into negotiation
(d) cancellation of procurement process
(e) applicability of the provisions of confidentiality

5 form of appeal

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed from along with as many copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

(c) Every appeal may be presented to first appellate Authority or second appellate authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

6. Fee for filling appeal

(a) Free for first appeal shall be rupess two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a scheduled bank in india payable in the name of Appellate Authority concerned.

7.Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate authority or second appellate authority, as the case may be upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the first appellate authority or second appellate authority as the case may be, shall

(i) Hear all the parties to appeal present before him; and
(ii) Peruse or inspect documents relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c)After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the appellate authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of the order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub clause (c) above shall also be placed on the state public procurement Portal.

सीमा देवी

प्रशासक
ग्राम पंचायत गनाहेड़ा
पं.स. अजमेर ग्रामीण (अजमेर)

Varsha..

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत गनाहेड़ा
पं.स. अजमेर ग्रामीण (अजमेर)

Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis :

I. if these is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected.

II. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and total shall be corrected; and

III. if these is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

if the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, Works or services originally specified in the bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 50% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder. whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter or procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

अनिता देवी
प्रशासक
ग्राम पंचायत गनाहेड़ा
पं.स. अजमेर ग्रामीण (अजमेर)

Varsha..
ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत गनाहेडा
पं.स. अजमेर ग्रामीण (अजमेर)

कार्यालय ग्राम पंचायत गनाहेडा पंचायत समिति अजमेर ग्रामीण (अजमेर)

कमांकः– दिनांकः–

उपापन की विषय–वस्तु का विवरण (वर्ष–2026.27)

कार्य का नामः– ग्राम पंचायत के समस्त गांवो में घर एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से कचरा संग्रहण एवं पृथक्करण, सडक एवं नाली सफाई तथा सामुदायिक स्वच्छता परिसर की सफाई सहित कार्य

ग्राम पंचायत Ganahera

ग्राम पंचायत में गांवो की संख्या एवं नाम 1 Ganahera

पंचायत समितिः– अजमेर ग्रामीण

ग्राम पंचायत के अधीन ग्रामों के परिवारों की संख्याः– 1671

ग्राम पंचायत के अधीन सामुदायिक स्वच्छता परिसरों की संख्याः– 17

	परिवारों की सं.	1671
3	वर्गमीटर	47864
4	घनमीटर	54 24
5	संख्या	17

क सं	सामग्री विवरण	मात्रा / संख्या	दर (रू)	अनुमानित मासिक लागत राशि (रू)
1	घर–घर (आवासीय एवं व्यवसायिक) से गीला एवं सूखा कचरा संग्रहण मय निर्धारित कचरा संग्रहण स्थान(क्नउचपदह त्तंक) पर पहुंचाना।			
	(अ) जब वाहन ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध कराया जावे तथा वाहन हेतु ड्राईवर मय व्वस संगहण कार्य हेतु उपकरण, सुरक्षा उपकरण मय मेडिकल किट एवं श्रमिक आदि संवदेक द्वारा उपलब्ध कराकर कार्य।	परिवारों की सं.1671	राशि रू 0.80 प्रति घर (आवासीय एवं	nil
	(ब) जब वाहन, ड्राईवर मय व्वस श्रमिक कचरा संगहण मय निर्धारित कचरा संगहण स्थान (क्नउचपदह त्तंक) पर पहुचाने सहित कार्य हेतु उपकरण, सुरक्षा उपकरण मय मेडिकल किट एवं श्रमिक आदि संवदेक द्वारा उपलब्ध कराकर कार्य, जिसमें कचरा पृथकक्करण में पाये गये प्लास्टिक अपशिष्ट का सुरक्षित निपटान (प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेन्ट नियम, 2016 यथा संशोधित कार्य) सम्मिलित है। महिने मे 15 बार	परिवारों की सं.1671	राशि रू 2.18 प्रति घर (आवासीय एवं व्यवसायिक) प्रतिदिन	54641.7
2	कचरे से क्महतंकंइसम + छवदण क्महतंकंइसम ॅंजम का पृथक्करण कार्य, कार्य हेतु उपकरण मय मेडिकल किट आदि संवदेक द्वारा उपलब्ध कराकर कार्य किया जावे, जिसमे कचरा पृथक्करण कर पृथक्करण (प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेन्ट नियम 2016 यथा संशोधित कचरे का निस्तारण) में पाये गये प्लास्टिक अपशिष्ट का सुरक्षित निस्तारण / निपटान कार्य सम्मिलित है। महिने मे 15 बार	परिवारों की सं.1671	राशि रू 0.45 प्रति घर (आवासीय एवं व्यवसायिक) प्रतिदिन	11279.25
3	सडक / बाजार / मुख्य चौक में झाडू एवं सफाई कार्य मय सफाई कार्य हेतु आवश्यक उपकरण क साथ–साथ सुरक्षा उपकरण मय मेडिकल किट आदि संवदेक द्वारा उपलब्ध कराना तथा कचरे का निर्धारित कचरा संग्रहण स्थान (क्नउचपदह त्तंक) पर पहुंचाना। (महिने मे चार बार)	वर्गमीटर47864	राशि रू 0.10 प्रति वर्गमीटर	19145.6
4	नाली सफाई कार्य मय कार्य हेतु आवश्यक उपकरण के साथ–साथ सुरक्षा उपकरण मय मेडिकल किट आदि संवदेक द्वारा उपलब्ध कराना सहित कचरे का निर्धारित कचरा संग्रहण स्थान(क्नउचपदह त्तंक) (महिने मे 2 बार)	घनमीटर54॰24	राशि रू 57.69 प्रति घनमीटर (वास्तविक कचरे की मात्रा	6258.2112
5	समुदायिक स्वच्छता परिसर (ब्ै) की सफाई का कार्य मय कार्य हेतु आवश्यक उपकरण, सीट, फर्श, टाईल्स सफाई हेतु आवश्यक सामग्री के साथ–साथ सुरक्षा उपकरण मय मेडिकल किट आदि सहित कार्य (महिने मे तीस बार)	संख्या17	राशि रू 49.08 प्रति सी.एस.सी एक बारिय	25030.8
			कुल योग (मासिक)	116355.56
			कुल योग 12 माह	1396266.7

राशि रू 0.80 प्रति घर (आवासीय एवं व्यवसायिक) प्रतिदिन	
राशि रू 2.18 प्रति घर (आवासीय एवं व्यवसायिक) प्रतिदिन	3642.78
राशि रू 0.45 प्रति घर (आवासीय एवं व्यवसायिक) प्रतिदिन	751.95
राशि रू 0.10 प्रति वर्गमीटर	4786.4
राशि रू 57.69 प्रति घनमीटर (वास्तविक कचरे की मात्रा अनुसार)	3129.11
राशि रू 49.08 प्रति सी.एस.सी एक बारिय	834.36

सरपंच ग्राम विकास अधिकारी

कनिष्ठ अभियन्ता
पंचायत समिति अजमेर–ग्रामीण